न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

अपील सं. 04 / 2020
जीएमएस नं. –2023 / 454 दर्ज दिनांक–01.11.2023

1. महावीर प्रसाद पुत्र घासीराम
2. सीताराम पुत्र घासीराम
3. सागरमल पुत्र घासीराम समस्त जाति माली निवासीगण सेडु वाली ढाणी, नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू

– अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत चेलासी जरिये सरपंच
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ
3. गिन्नी देवी पत्नी स्व. बजरंगलाल
4. रामचन्द्र पुत्र स्व. बजरंगलाल
5. राकेश पुत्र स्व. बजरंगलाल समस्त जाति माली निवासीगण सेडुवाली ढाणी नवलगढ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
6. सरोज पुत्री स्व. बजरंगलाल पत्नी सम्पत कुमार निवासी लक्ष्मणगढ जिला सीकर
7. कंचन पुत्री स्व. बजरंगलाल पत्नी परमेश्वरलाल निवासी मण्डावा जिला झुंझुनू

–रेस्पोडेन्ट

वकील अपीलार्थी : – श्री विपल्व पण्डित
वकील रेस्पोडेन्ट 3 लगा.7 :– श्री संदीप सैनी
वकील रेस्पोडेन्ट 2 :– पैरो.राज.
वकील रेस्पोडेन्ट 1:– एक पक्षीय

अपील अ0 धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 खिलाफ आदेश ग्राम पंचायत चेलासी नामान्तकरण संख्या 1260 दिनांक 20 / 09 / 2023

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 13.05.2024

आवेदक द्वारा अपील प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि, ग्राम मोहब्बतसर नामे कुआ रिंगसियां वाला भूमि खसरा नं. 172 रकबा 0.06 है0,खसरा नं. 173 रकबा 1.31 है0, खसरा नं. 178 रकबा 1.82 है0 व खसरा नं. 500 / 180 रकबा 0.06 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.24 है0 स्थित है। भूमि खसरा नं. 173 पुराने खसरा नं. 148 / 1,148 / 2 से बना है। भूमि खसरा नं. 178 पुराने खसरा नं. 148 / 2,149 / 2 एंव 150 से बना है। उक्त भूमि मोनाराम पुत्र हणमान जाति माली निवासी ग्राम मोहब्बतसर की स्वअर्जित सम्पति थी और अपनी स्वअर्जित सम्पति को मोनाराम ने रेस्पोडेन्ट सं. 3 लगा. 7 के पिता बजरंगलाल, अपीलान्ट महावीर, व सीताराम को जरिये विक्रय पत्र

JY
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुंझुनूं)

... कर फीस वसूल करें, जो हर्जाना इस मुकदमें में पड़ेगा तो वकील साहेबान का होगा। मैं या हम व्यक्तिगत रुप से तारीख पेशी ...
... होगा अगर किसी वजह से मुकदमा इकतरफा व अदम पैरवी से खारिज हो जाये तो वकील साहेब की जिम्मेदारी नहीं होगी।
... जो कुछ भी कार्यवाही इस मुकदमें के बारे में वकील साहेबान करेंगे वे सब मुझे/हमें हर प्रकार से स्वीकार होगी लिहाजा यह ...

Scanned with CamScanner

दिनांक 6/3/1980 के द्वारा अपनी भूमि खसरा नं. 148/1, 149/2 में से 6 बीघा 8 विश्वा भूमि को बिल एवज 6000/- रूपये में विक्रय कर दी दुसरा विक्रय पत्र अपीलान्ट सागरमल व रामस्वरूप को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 6/3/1980 को भूमि खसरा नं. 148/2, 149/1,150 कुल तादादी रकबा 2 बीघा 9 विश्वा को 3500/- रूपये मे विक्रय कर दी तथा कब्जा मौके पर संभला दिया बाद क्रय अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं. 3 लगा. 7 के खरीदशुद्वा भूमि में खातेदारी अधिकार है तथा काबिज चले आ रहे है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 लगा. 7 के पिता अनपढ भोले-भाले किसान है अधिकांश कानूनी कार्यावाहियों रजिस्ट्री करवाने के बाद क्या किया जाता है इतनी समझ नही होने के कारण अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं. 3 लगायत 7 के पिता बजरंगलाल ने दोनों विक्रय पत्र करवाने के बाद रजिस्ट्री प्राप्त कर अपने पास रख ली व उक्त भूमि पर अपना कब्जा कर लगातार उपयोग-उपभोग करते रहे और विक्रय पत्र के अनुसार रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम अमलदरामद नही करवाया। जमाबन्दी विक्रेता मोनाराम के नाम ही चली आ रही थी। जिसके कारण मोनाराम के वारिसों ने उनवानी वाद बजरंगलाल बनाम मोनाराम घोषणार्थ,रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधज्ञा का प्रस्तुत किया। जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रा. पत्र अस्थाई निषेधज्ञा का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुये उपरोक्त खसरा नं. की भूमि के सबंध में रिकार्ड एंव मौके की यथा स्थिति बनाये रखने का मूल वाद के निस्तारण तक आदेश पारित किया है। मोनाराम के वारिस द०वाद पत्र व प्रा.पत्र अस्थाई निषेधज्ञा मे बतौर पक्षकार संयोजित है। न्यायालय के स्थगन की जानकारी है इसके अतिरिक्त 145,146 सीआर.पी.सी. के तहत कुर्कशुद्वा है तथा तहसीलदार की रिसीवरी में है।स्थगन आदेश व कुर्की का नोट भी राजस्व अभिलेख मे चला आ रहा है। जिसकी जानकारी तहसीलदार नवलगढ, पटवारी, गिरदावर को भी है। उपरोक्त खसरा नं. की भूमि मोनाराम द्वारा अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट सं. 3 लगा. 7 के पिता बजरंगलाल को विक्रय की जा चूकी है।परन्तु पटवारी हल्का व गिरदावर ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मोनाराम के वारिसों से मिलकर दौराने स्थगन एंव कुर्की के बावजूद दिनांक 20/09/2023 को विधि विरूद्व रूप से नामान्तकरण सं. 1260 मोनाराम के वारिसों ने अपने नाम तस्दीक करवा लिया।ग्राम पंचायत चेलासी के उपरोक्त निर्णय दिनांक 20.9.2023 से व्यथीत होकर अपीलान्ट्स द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। उक्त आदेश कानून एंव पत्रावली, तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने नामान्तकरण तस्दीक किया है जो अपीलान्ट्स को ना तो कोई नोटिस दिया है ना ही सुनवाई की गई है। अतः नामान्तकरण न्याय के सिद्वातों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अपील जानकारी होने पर अन्दर मियाद पेश है। अपील मे किसी प्रकार की लेकूना नही रहे इसलिये अपील प्रस्तुत करने मे जो देरी हुई है उसे कन्डोन करने के लिये धारा 5 मियाद अधि. का प्रा. पत्र प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन है। अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जावे तथा ग्राम पंचायत चेलासी का निर्णय दिनांक 20.09.2023 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की जारी की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित,रेस्पोडेन्ट सं. 2 कि और से पैरो. राज. उपस्थित, रेस्पोडेन्ट सं. 3 लगा. 7 की और से वकील श्री संदीप सैनी उपस्थित।

बहस वकील उभय पक्ष पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रा. पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का सर्वप्रथम स्वीकार किया जाता है। वकील अपीलान्ट ने दस्तावेजात् (दर्ज वाद, प्रा. पत्र, 145,146 कार्यवाही,फसलकास्त निलामी ,विक्रय पत्रो,नकल मिलान क्षेत्रफल, प्रकरण सं सम्बन्धित अन्य दस्तावेजात) पेश करते हुये अपील

नवलगढ़ (झुं.)

पूरा न देने पर वकील साहेबान को अधिकार है कि व

, जो हर्जाना इस मुकदमें में पड़ेगा वो वकील साहेबान का होगा। मैं या हम व्यक्तिगत रूप से तारिख पेशा

किसी वजह से मुकदमा इकतरफा व अदम पैरवी से खारिज हो जाये तो वकील साहेब की जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यवाही इस मुकदमें के बारे में वकील साहेबान करेंगे

स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील वकील रेस्पोडेन्ट 3 लगा. 7 ने कोई एतराज व्यक्त नही किया। नामान्तकरण इन्तकाल भरा गया है, जिस पर स्थगन आदेश होना तथा विवादित भूमि धारा 145,146 सीआर.पी.सी. में रिसीवर भी तहसीलदार नवलगढ़ नियुक्त होना साबित है। विवादित भूमि से सम्बन्धित प्रकरण भी राजस्व न्यायालय मे जेरकार है। इसलिये यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस अथवा सूचना नही दी गई है। नामान्तकरण कि कार्यवाही पृथम दृष्ट्या ही विधि विरूद्व जाहिर होती है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार की जाकर, ग्राम पंचायत चेलासी का नामान्तकरण सं. 1260 आदेश दिनांक 20.09.2023 को तत्काल निरस्त किया जाता है।

उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू

Scanned with CamScanner